

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी (अतिरिक्त जिला कलक्टर) बांसवाड़ा (राजस्थान)
पीठासीन अधिकारी – अभिषेक गोयल, RAS

प्रकरण संख्या : 44 / 2024
रजिस्ट्रेशन नं. : 2024 / 63

राजस्थान राज्य जरिये
खाद्य सुरक्षा अधिकारी
बांसवाड़ा (राज)

बनाम

अभियुक्त :-

श्री पंकज तेली पुत्र श्री अम्बालाल निवासी
तेलीवाड़ा, वार्ड नं. 12, घाटोल, बांसवाड़ा
(विक्रेता/ मालिक) मैसर्स गोपाल कृष्णा दूध
डेयरी, मेन रोड घाटोल, जिला बांसवाड़ा
(राज.)

अपराध अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2(ii) खाद्य सुरक्षा एवं मानक
अधिनियम 2006, नियम 2011

निर्णय

दिनांक 24-06-2024

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि श्री उम्मेद मल टेलर खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बांसवाड़ा (राज.) के द्वारा दिनांक 09-04-2024 को यह प्रकरण इस आशय का पेश किया गया कि दिनांक 13-10-2023 को 2.30 पी.एम. बजे बाहैसियत खाद्य सुरक्षा अधिकारी खाद्य पदार्थों की जाँच हेतु मैसर्स गोपाल कृष्णा दूध डेयरी, मेन रोड घाटोल, जिला बांसवाड़ा पर पहुंचा। इस समय संस्थान पर श्री पंकज तेली पुत्र श्री अम्बालाल उपस्थित थे। विक्रेता की उपस्थिति में मैसर्स गोपाल कृष्णा दूध डेयरी, मेन रोड घाटोल, जिला बांसवाड़ा का निरीक्षण करने पर परिसर में खाद्य पदार्थ दुध मिक्स (लूज) फ्रिज में स्टील की केन में 30 लीटर रखा पाया। जिसको एफ.एस.एस.ए. 2006 के तहत देखने पर मानक स्तर का नहीं होने का शक हुआ। शक होने पर विक्रेता को गवाहान की उपस्थिति में फार्म नं.5ए पर सूचना देते हुए खाद्य पदार्थ दुध मिक्स (लूज) 2 लीटर वास्ते नमूना जाँच हेतु खरीदा तथा इनकी कीमत 100/- रु. विक्रेता को चुका कर रसीद प्राप्त की। जिस पर विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक की। नमूना जाँच हेतु खरीदशुदा खाद्य पदार्थ दुध मिक्स (लूज) 2 लीटर को 4 साफ सुखे एवं खाली प्लास्टिक के जारो में बराबर बराबर मात्रा में भरकर एवं प्रत्येक प्लास्टिक के जारो में प्रीजरवेटीव फार्मलिन की 40-40 बुन्दे डालकर, चार नमूना भाग तैयार कर प्रत्येक भाग पर तैयार किये गये लेबल, जिस पर डी.ओ एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बांसवाड़ा का कोड क्रमांक W-1612 प्रत्येक नमूना भाग पर चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को धागे से

न्याय निर्णयन अधिकारी
(अति.जिला कलक्टर)
बांसवाड़ा (राज.)

में अब किसी अन्य साक्ष्य की आवश्यकता प्रतित नहीं होती हैं। इस कारण प्रकरण का अंतिम निस्तारण किया जाना हम उचित समझते हैं।

अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 3(1)(zx) के तहत सबस्टैण्डर्ड किया गया खाद्य पदार्थ दुध मिक्स (लूज) को विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन होना पाया गया। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम-2006 की धारा 51 में निर्धारित है। अतः आरोपी को दोष सिद्ध घोषित किया जाकर अप्रार्थी श्री पंकज तेली पुत्र श्री अम्बालाल निवासी तेलीवाडा, वार्ड नं. 12, घाटोल, बांसवाडा (विक्रेता/ मालिक) मैसर्स गोपाल कृष्णा दूध डेयरी, मेन रोड घाटोल, जिला बांसवाडा (राज.) को रूपये 5,000/- (अक्षरे रू पाँच हजार मात्र) से दण्डित कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियम 2011 के 3.1.2 के बिन्दू संख्या 3 में उल्लेखित आय मद 0210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, 04-लोक स्वास्थ्य, 800-अन्य प्राप्तियां, (03)-खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञा-पत्र शुल्क आदि में उक्त जुर्माना राशि तीन दिवस में राजकोष में जमा कराकर चालान की प्रति इस न्यायालय में पेश करने आदेश जारी किये।

निर्णय आज दिनांक 24-06-2024 खुले न्यायालय सुनाया गया।

(अभिषेक गोयल)
न्याय निर्णयन अधिकारी
(अति० जिला कलक्टर)
बांसवाडा (राज.)